उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या- 37/2020/1858/33-3-2020

लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 में निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों हेतु विशेष कार्याधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के 01 निःसंवर्गीय अस्थायी पद वेतनमान रू. 67,000 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री जय प्रकाश सिंह, द्वितीय, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त) को पुनर्नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) श्री जय प्रकाश सिंह, द्वितीय, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त) को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री जय प्रकाश सिंह को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अन्तिम आहरित मूल वेतन में इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आंकलित हो तथा श्री सिंह को देय मंहगाई भत्ता अन्तिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3) श्री सिंह को पुनर्नियुक्ति की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2-4 के सहायक नियम-197 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा। परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने तथा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके अन्तिम आहरित वेतन के ग्रेड वेतन के अन्तर्गत अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री सिंह को पेंशन पर मंहगाई भत्ता, राहत या अस्थायी वृद्धि यदि कोई हो, देय नहीं होगा।

(7) श्री सिंह को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

http://shasanadesh.up.gov.in

मनोज कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. आयुक्त, राज्य निर्वाच आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-19 नि.स./रा.नि.आ./2020 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में।

3. निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ।

4. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

8. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

10. सम्बन्धित अधिकारी।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।